



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012024-251491
CG-DL-E-19012024-251491

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2024/पौष 29, 1945

No. 284]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2024/PAUSHA 29, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2024

का.आ. 293(अ).—केंद्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार की तारीख 01 नवंबर, 2018 की अधिसूचना, संख्यांक का.आ. 5607(अ), असाधारण, भाग - II, खंड 3, उपखंड (ii) का अधिक्रमण करते हुए, निदेश देती है कि, उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन इसके द्वारा प्रयोग की गई शक्तियां और निष्पादित कृत्य, निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भी प्रयोग तथा निष्पादित किए जाएंगे, अर्थात्:-

- (क) आयुध और गोलाबारूद के आयात के लिए सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जैसाकि आयुध नियम, 2016 की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट है; सिवाय उपाबंध में रक्षा उपयोग हेतु आयात के लिए यथा विनिर्दिष्ट मर्दे, जिसके लिए सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकारी होगा;
- (ख) आयुधों और गोलाबारूद के निर्यात के लिए सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जैसाकि आयुध नियम, 2016 की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट है।

2. इस अधिसूचना के अधीन उक्त अधिकारियों द्वारा शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अधिकथित नीतियों और अनुदेशों का पालन करेंगे और केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना कोई नई नीति प्रतिपादित नहीं करेंगे या उसके संबंधित अनुदेश जारी नहीं करेंगे; और
- (ii) केंद्रीय सरकार, शक्तियों और कृत्यों के ऐसे प्रत्यायोजन का प्रतिसंहरण कर सकेगी या स्वयं उक्त धारा के अधीन शक्तियों या कृत्यों का प्रयोग या निष्पादन कर सकेगी, यदि उसकी राय में जनहित में ऐसी कार्रवाई आवश्यक है।

उपाबंध

निर्बंधित मदें (केवल रक्षा उपयोग के लिए):

क्र.सं.	एक्जिम कोड	मद का विवरण
1.	87100000	टैंक और अन्य बक्तरबंद लड़ाकू यान, मोटर चालित, चाहे वे हथियारों और पुर्जों या ऐसे यानों से सुसज्जित हो या नहीं।
2.	93011100, 930110	स्वचालित तोपखाना हथियार (उदाहरण के लिए बंदूक, हॉविट्जर और मोर्टार)।
3.	93012000	रॉकेट लॉन्चर/फ्लेम थ्रोअर/ग्रेनेड लॉन्चर, टॉरपीडो ट्यूब और इसी तरह के प्रोजेक्टर।
4.	93062100, 93063000	कारतूस और उसके पुर्जे।
5.	9301	रिवॉल्वर और पिस्तौल के अलावा अन्य सैन्य हथियार।
6.	93020000	रिवॉल्वर और पिस्तौल (केवल रक्षा उपयोग के लिए)
7.	9306	बम, ग्रेनेड, टॉरपीडो, खाने, मिसाइलें और युद्ध के समरूप युद्ध -सामग्री और उनके भाग ; शॉट और कारतूस के गट्टे समेत कारतूस और अन्य गोला-बारुद और प्रोजेक्टाइल और उसके पुर्जे।
	सीसीईसीसीएनएस	विवरण
8.	2ख018	उपस्कर इस प्रकार हैं (केवल रक्षा अनुप्रयोगों के लिए)
		विशेष मशीनरी, उपस्कर, गियर और विशेष रूप से डिजाइन किए गए पुर्जों और उपसाधनों, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं जो विशेष रूप से आयुधों, साधित्र, मशीनों और युद्ध के उपकरणों की जांच, निर्माण, परीक्षण और चैकिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं।
		(क) रेडिकल ड्रिलिंग मशीनों के अलावा बक्तरबंद प्लेट ड्रिलिंग मशीनें
		(ख) बक्तरबंद प्लेट प्लानिंग मशीने
		(ग) बक्तरबंद प्लेट शमन प्रेस।
		(घ) 2 इंच (5 सेंटीमीटर) और उससे अधिक की दीवार की मोटाई के साथ 6 फीट (183 सेंटीमीटर) या उससे अधिक लंबाई की कार्टिंग ट्यूब में सक्षम सेंट्रीफ्यूगल कार्टिंग मशीने।
		(ङ) गन बैरल राइफलिंग और ब्रोचिंग मशीनें, और उनके लिए औजार
		(च) गन बैरल राइफलिंग मशीनें।
		(छ) गन बैरल ट्रेपेनिंग मशीनें।
		(ज) गन बोरिंग और टर्निंग मशीनें।
		(झ) 6 फीट (183 सेंटीमीटर) स्ट्रोक या उससे अधिक की गन हॉनिंग मशीनें।
		(ञ) गन जंप स्कू लेथा
		(ट) गन राइफलिंग मशीनें।
		(ठ) गन स्ट्रेटनिंग प्रेस।

	(ड) टैंक ट्रैट रिंग और स्पोकैट के लिए इंडक्शन हार्डनिंग मशीनें।
	(ढ) जिग्स और फिक्सचर और धातु से काम करने वाले उपकरणों के अलावा अन्य प्रकार के उपकरण या उपसाधन जो विशेष रूप से आग्नेयास्त्रों, आयुध और भूमि, समुद्र तथा हवाई युद्ध के लिए अन्य भंडार और साधित्रों के निर्माण में उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं।
	(ण) छोटे आयुध चैम्बरिंग मशीनें।
	(त) छोटे आयुध गहरे छिद्र वाले ड्रिलिंग मशीने और उनके लिए ड्रिल
	(थ) छोटे आयुध राइफलिंग मशीनें।
	(द) छोटे आयुध स्पिल बोरिंग मशीनें।
	(ध) टैंक ट्रैट बियरिंग ग्राइंडिंग मशीनें।

[फा. सं. वी-11026/23/2021-आयुध-(पीटी. I)]

अनिल सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th January, 2024

S.O. 293(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), and in supersession of the notification of the Government of India, Extraordinary, Part- II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. 5607(E) dated the 1st November, 2018, the Central Government hereby directs that, the powers and functions which are exercised and performed by it under section 10 of the said Act, shall also be exercised and performed by the following officers, namely:-

(a) the Secretary to the Government of India in the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry or an officer authorised by him in this behalf for import of Arms and Ammunition as specified in Schedule I of Arms Rules, 2016, except for import of items for defence use as specified in the Annexure, for which the Secretary to the Government of India in the Department of Defence Production, Ministry of Defence or an officer authorised by him in this behalf shall be the authority;

(b) the Secretary to the Government of India in Department of Defence Production, Ministry of Defence or an officer authorised by him in this behalf for export of Arms and Ammunition as specified in Schedule I of the Arms Rules, 2016.

2. The powers and functions under this notification shall be exercised and performed by the said officers subject to following conditions, namely: -

(i) the Secretary to the Government of India in the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry and the Secretary to the Government of India in the Department of Defence Production, Ministry of Defence shall observe the policies and instructions laid down by the Central Government in the Ministry of Home Affairs and shall not enunciate any new policy or issue instructions in relation thereto without the prior consent of the Central Government in the Ministry of Home Affairs; and

(ii) the Central Government may revoke such delegation of powers and functions or may itself exercise or perform the powers or functions under the said section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

Annexure**Restricted items (only for defence use):**

Sl. No.	EXIM Code	Item Description
1.	87100000	Tanks and other Armoured Fighting vehicles, motorized, whether or not fitted with weapons and parts or such vehicles.
2.	93011100, 930110	Self-propelled Artillery Weapons (for example, guns, howitzers and mortars).
3.	93012000	Rocket Launchers/Flame Throwers/Genade Launchers, Torpedo Tubes and similar projectors.

4.	93062100, 93063000	Cartridges and parts thereof.
5.	9301	Military Weapons, other than revolvers and pistols.
6.	93020000	Revolvers and Pistols (only for defence use).
7.	9306	Bombs, Grenades, Torpedoes, Mines, Missiles and Similar Munitions of war and parts thereof; Cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridges wads.
	CCECCNs	Description
8.	2B018	Equipment as follows (only for defence applications).
		Specialized machinery, equipment, gear and specially designed parts and accessories therefore, including but not limited to the following, that are specially designed for the examination, manufacture, testing and checking of arms, appliances, machines and implements of war.
		(a) Armour plate drilling machines, other than radical drilling machines.
		(b) Armour plate planing machines.
		(c) Armour plate quenching presses.
		(d) Centrifugal casting machines capable of casting tubes 6 feet (183 cm) or more in length, with a wall thickness of 2 inches (5 cm) and over.
		(e) Gun barrel rifling and broaching machines, and tools therefor.
		(f) Gun barrel rifling machines.
		(g) Gun barrel trepanning machines.
		(h) Gun boring and turning machines.
		(i) Gun honing machines of 6 feet (183 cm) stroke or more.
		(j) Gun jump screw lathes.
		(k) Gun rifling machines.
		(l) Gun straightening presses.
		(m) Induction hardening machines for tank turret rings and sprockets.
		(n) Jigs and fixtures and other than metal-working implements or accessories of the kinds exclusively designed for use in the manufacture of firearms, ordnance and other stores and appliances for land, sea or aerial warfare.
		(o) Small arms chambering machines.
		(p) Small arms deep hole drilling machines and drill therefor.
		(q) Small arms rifling machines.
		(r) Small arms spill boring machines.
		(s) Tank turret bearing grinding machines.

[F. No. V-11026/23/2021-Arms (Pt.I)]

ANIL SUBRAMANIAN, Jt. Secy.